शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 623 /33-2-2018-114जी/2008टी0सी0

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
समस्त जिला पंचायतें,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग 2 दिनांक: 15 फरवरी, 2018

विषय – उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा-142, 143 के साथ पठित धारा-239 एवं 242(2) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करके प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा तहबाजारी/खनिज परिवहन शुल्क वसूली हेतु बनाई गई उपविधियों को संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय जिला पंचायतों द्वारा खनिज परिवहन शुल्क/तहबाजारी की वसूली राष्ट्रीय मार्ग, एम0डी0आर (मुख्य जिला मार्ग), ओ0डी0आर (अन्य जिला मार्ग) अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर की जा रही है जिसके कारण मार्गों के सुगम एवं सुचारू संचालन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तथा मा0 न्यायालयों में विभिन्न वाद भी योजित हो रहे हैं।

2. अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा-142, 143 के साथ पठित धारा-239 एवं 242(2) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए खनिज परिवहन शुल्क/तहबाजारी के संबंध में बनाई गई उपविधि को मात्र खनिजों के उद्गम स्थल से ही बिना बैरियर लगाये वसूली किये जाने हेतु अपनी उपविधियों में नियमानुसार आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।

3. उक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला पंचायतों द्वारा केवल उद्गम स्थल से ही बिना बैरियर लगाये खनिज परिवहन शुल्क/तहबाजारी की वसूली की जाएगी। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गों पर वसूली नहीं की जाएगी।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 623 (1)/33-2-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव।